उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण , इन्दिरा भवन, लखनऊ

न्यायालय संख्या–1

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष

निर्देश याचिका संख्या– 719/2024

व्यास प्रसाद , उम्र लगभग 60 वर्ष, आत्मज स्व0 श्री शिव शंकर प्रसाद, निवासी, ग्राम–करनपुर उर्फ पचखेड़ा, पोस्ट–रामपुर करखहा, जिला–देवरिया।

.... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, बस्ती।

.... विपक्षीगण

श्री महताब अहमद फरीदी, याची के अधिवक्ता।
श्री पंकज सिंह, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से ।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आदेश दिनांकित 04.01.2024, 15.01.2024 तथा 23.03.2024 जो पत्रावली पर क्रमशः संलग्नक संख्या– 2,3 व 4 के रूप में मौजूद है, को निरस्त कराने हेतु दिनांक 08.04.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

2. आदेश दिनांकित 04.01.2024 द्वारा विपक्षी संख्या–3, ने याची के 24 वर्ष की सेवा पर दिनांक 15.03.2006 ग्रेड पे रू0 4200 का न्यूनतम वेतनमान 13500 निर्धारित करते हुए 15.03.2006 से वार्षिक वेतनवृद्धि को संशोधित किया गया। आदेश दिनांकित 15.01.2024 द्वारा विपक्षी संख्या–3, पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने याची के विरूद्ध रू0 5,82,117/–अधिक हुए भुगतान की वसूली उपादान व राशिकरण से करने हेतु वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया तथा आदेश दिनांकित 23.03.2024 विपक्षी संख्या–3 पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने याची को रू0 5,82,117/– कार्यालय में जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया।

3. याची का कथन है कि याची को दिनांक 15.03.1982 को आरक्षी के पद पर पुलिस विभाग में नियुक्ति दी गयी थी तथा बाद में उसे मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नत किया गया एवं इसी पद से वह दिनांक 31.12.2023 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हुआ, तथा उसे समय से सेवानैवृत्तिक लाभ जैसे उपादान, जीपीएफ, उपार्जित अवकाश की धनराशि आदि का भुगतान किया गया। पत्र

दिनांकित 01.11.2023 विपक्षी संख्या–2 वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ने याची के पेंशन परिपत्र एवं चरित्र पंजिका के परीक्षणोंपरान्त कुछ आपत्ति की और याची की चरित्र पंजिका की मॉग की एवं वित्त विभाग द्वारा की गयी आपत्ति का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक, बस्ती ने स्पष्ट किया कि याची को दिनांक 04.03.2009 द्वारा छठे वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को रू0 10640/– प्रदान करते हुए अग्रेतर वेतन निर्धारित किया गया था तो पुनः एचओबी संख्या–226 दिनांक 08.07.2009 द्वारा दिनांक 15.01.2007 को रू0 14430/– किस नियम/शासनादेशानुसार प्रदान किया गया तथा याची को छठे वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से 14.03.2006 तक की अवधि का ऐरियर मिला अथवा नहीं यह स्पष्टीकरण चाहा एवं याची की चरित्र पंजिका पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज को आपत्ति निवारण करने हेतु भेजी।

4. उक्त पत्र के पश्चात् पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज ने याची की चरित्र पंजिका वापस करते हुए सूचना दी जिस को मुख्य आधार बनाकर पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा पत्र दिनांक 04.01.2024 आदेश पारित करते हुए याची के पेंशन प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त यह बताया कि याची को 01.01.2006 से 14.03.2006 तक कुल रू0 13,920/– को पुनरीक्षित वेतनमान ऐरियर का भुगतान कराया गया है। याची को दिनांक 15.03.2006 को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हुए ग्रेड पे 4200/– का न्यूनतम वेतन 13500/–ही देय है, तद्नुसार याची का वेतन निर्धारित कराकर उसकी प्रविष्टि चरित्र पंजिका में अंकित करके प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया अतः सहायक लेखाधिकारी निमित्त वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 18.12.2023 के सन्दर्भ में याची को विकल्प दिनांक 01.01.2006 से होने एवं एरियर धनराशि का भुगतान होने के कारण कर्मी को दिनांक 15.03.2006 को 24 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पें रु0 4200/– न्यूनतम वेतन रू0 13500/– निर्धारित करते हुए आगे की वार्षिक वेतन वृद्धि संशोधित की गयी।

5. याची का कथन है कि याची की आरक्षी पद पर पुलिस विभाग में नियुक्त वर्ष 1982 में हुई थी तथा उसका वेतन प्रशिक्षण काल से जोड़कर निर्धारण किया जाना पूर्णतया सही है क्योंकि उक्त वेतन विभागीय कमेटी के सदस्यों की बैठकोंपरान्त व उनकी सहमति से ही प्रदान किया गया था जिसमें कोई कमी अथवा त्रुटि नहीं रही । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में प्रशिक्षण अवधि को नियमित सेवा में माने जाने सम्बन्धी व्यवस्थाएं दी गयी हैं। याची की प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित सेवा और उसके आधार पर ही विभागीय चयन समिति और उसकी सेवा पुस्तिका का परीक्षण करने के बाद ही 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवाएं को पूर्ण किये जाने पर सही वेतन निर्धारित किया गया था जिसे याची की सेवानिवृत्त के समय त्रुटिपूर्ण कतई नहीं कहा जा सकता।

6. सहायक लेखाधिकारी वित्त नियंत्रक उ0प्र0 मुख्यालय के पत्र दिनांक 18.12. 2023 की प्रति भी याची को प्रदान नहीं की गयी। उसे अपना पक्ष प्रस्तुंत करने का भी अवसर नहीं दिया गया, उसे पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा भी वित्त नियंत्रक के पत्र दिनांक 01.11.2023 की प्रति भी प्राप्त नहीं करायी गयी न ही उस पर याची को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का मौका दिया गया, बल्कि पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा वित्त नियंत्रक मुख्यालय के पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज से याची की चरित्र पंजिका भेजकर उस पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त कर सीधे वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया। याची के वेतन को त्रुटिपूर्ण निर्धारित किये जाने से पूर्व याची को अपना बचाव प्रस्तुत करने का मौका न दिये जाने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का स्पष्टतया उल्लंघन हुआ है। याची को पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2024 का हवाला देते हुए उसे अधिक भुगतान की गयी राशि 5,82,117/—तीन दिवस में जमा करने का आदेश दिनांक 23.03.2024 को जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकश में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के पश्चात् उनके वेतन/सेवानिवृत्त लाभों से वसूली नहीं की जा सकती तथा वर्ष 2006 से किये गये गलत वेतन निर्धारण को वर्ष 2023—24 में चुनौती देते हुए उसे बदला नहीं जा सकता, तद्नुसार वांछित अनुतोष की मांग की गयी ।

7. विपक्षी पक्ष से जवाब याचिका प्रस्तुत करके कथन किया गया कि याची का विकल्प दिनांक 01.01.2006 से होने व एरियर की धनराशि का भुगतान होने के कारण याची की दिनांक 15.03.2006 को 24 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे रू0 4200/— का न्यूनतम वेतन होने के फलस्वरूप 15.03.2006 को 24 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पें रू0 4200/— का न्यूनतम वेतन 13,500/— रूपये ही देय है एवं तद्नुसार याची का वेतन निर्धारित करने हेतु गठित कमेटी द्वारा याची का वेतन रू0 14,430/— के स्थान पर रू0 13,500/— निर्धारित किया गयाहै एवं विपक्षी संख्या—3 के कार्यालय आदेश दिनांकित 04.01.2024 द्वारा उक्त वेतन संशोधन में अधिक हुए भुगतान रू0 5,82,117/— के समायोजन के सम्बन्ध में प्रश्नगत वसूल सम्बन्धी आदेश पारित किया गया जो पूर्णतया विधिक व नियमानुकूल है जिन्हें पारित किये जाने में किसी नियम व कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है अतः सम्बन्धित आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उभयपक्ष को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर मै निम्न निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि याची ने पुलिस विभाग में आरक्षी के रिक्त/नियमित पद पर दिनांक 15.03.1982 को नियुक्ति प्राप्त की और वह अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2023 को आरक्षी चालक के पद से सेवानिवृत्त किया गया। याची के दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक,

बस्ती के आदेश दिनांकित 01.04.2024 द्वारा याची का वेतन रू0 14,430/– के स्थान पर रू0 13,500/– दिनांक 15.03.2006 से संशोधित कर निर्धारित किया गया, तथा पुलिस अधीक्षक, बस्ती के पत्र दिनांकित 15.01.2024 द्वारा वित्त नियंत्रक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को याची को अधिक भुगतान हुए रू0 5,82,117/– का ड्यु ड्रान चार्ट तथा पेंशन भाग–5 मय चरित्र पजिका संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये कि याची को अधिक हुए भुगतान की वसूली ग्रेच्युटी/राशिकरण का भुगतान आदेश प्राप्त होने के उपरान्त उसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी तथा पुलिस अधीक्षक बस्ती के 23 मार्च, 2024 दिनांकित पत्र द्वारा याची को तीन दिन के अन्दर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बस्ती में रू0 5,82,117/– नकद या चेक के सम्बन्ध में जमा करने हेतु आदेशित किया गया एवं यह भी इंगित किया गया अन्यथा उक्त राशि की वसूली याची के देयकों से कर ली जायेगी।

8. इस सम्बन्ध में याची पक्ष से अधिकरण के समक्ष शासनादेश दिनांकित 16.01. 2007 पेश किया गया जिसका सम्बन्धित चरण–4 निम्न प्रकार है :–

4. शासन के उपरान्त आदेश अभी तक प्रभावी है परन्तु सन्दर्भित दिनांक 05 दिसम्बर, 2001 में दिये गये निर्देशों को देखते हुए पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी दिनांक 01.01.1986 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण तक की जॉच भी करने लगे हैं, जिससे पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने में विलम्ब होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित आदेश प्रदान किये गये हैं :–

(1) उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर 1977 के उपरोक्त प्रावधान के ही अनुसार पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से 10 माह पूर्व की परिलब्धियॉ तथा उसके 02 वर्ष पूर्व अर्थात कुल 34 महीने का रिकार्ड ही देखा जायेगा।

(2) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का किसी कर्मचारी के सेवाकाल में वेतन के निर्धारण में त्रुटि को ठीक कराने का दायित्व उपरोक्त (1) में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। वेतन निर्धारिण की त्रुटियों को कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही सामान्य जॉच/आडिट के माध्यम से दूर किये जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। "

9. इस शासनादेश के अनुसार सेवानिवृत्त की तारीख से कुल 34 महीने पूर्व का ही रिकार्ड पेंशन स्वीकृत हेतु देखा जायेगा तथा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी भी कर्मचारी के सेवाकाल में वेतन निर्धारण में त्रुटि को ठीक करने का दायित्व उपरोक्त 34 माह के निर्धारित समय से अधिक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में नजीर **स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वाशर) व अन्य, (2015) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 334,** का अवलोकन आवश्यक है जिसके चरण 18 का आवश्यक उपखण्ड निम्नवत है :–

" It is not possible to postulate all situations of hardship which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. But that as it may, based on the decisions referrred to hereinabove,we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from the employees belonging to Class III and Class IV service (or Group C and Group D service).

(ii) Recovery from the retired employees, or the employees who are due to retire within one year, of the order of recovery. "

उक्त शासनादेश के आधार पर याची पक्ष से प्रार्थना की गयी कि इस शासनादेश के अनुसार सेवानिवृत्त की दिनांक से कुल 34 महीने पूर्व का रिकार्ड ही वेतन निर्धारण में त्रुटि को ठीक कराने के सम्बन्ध में देखा जा सकता है जबकि याची के केस में 2023 में उसके सेवानिवृत्त होने पर सन् 15.06.2006 से उसका वेतन निर्धारण विचारित किया जा रहा है जो उक्त शासनादेश के अनुसार मान्य नही है, साथ ही प्रार्थना की गयी कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वाशर) व अन्य, (2015) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 334, उपरोक्तानुसार क्लास–3 व क्लास–4 कर्मचारीगण से गलती से अधिक अदायगी हो जाने पर कोई वसूली नहीं की जा सकती। तद्नुसार उसके द्वारा प्रार्थना किये गये अनुतोष की मॉग की गयी।

10. उपरोक्त शासनादेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम रफीक मसीह उपरोक्त में पहुॅचे गये मत से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा इंकार नहीं किया गया। शासनादेश दिनांकित 16.01.2007 उपरोक्त के विरूद्ध न तो अन्य शासनादेश और न ही अन्य नजीर व मन्तव्य ही विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा पेश किये गये गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन अधिक करने में याची की कोई गलती हो ऐसा विपक्षीगण का कथन नहीं है, तद्नुसार 31. 12.2023 को अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति पाने वाले याची के सम्बन्ध में विपक्षीगण 2006 से उसके वेतन पुनः निर्धारण करने से बाधित हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम रफीक मसीह व अन्य उपरोक्तानुसार याची जो एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके विरूद्ध पुनः वेतन निर्धारण कर निकाली गयी रिकवरी भी माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त नजीर के विरूद्ध है अतः याची उपरोक्त वांछित अनुतोष पाने का अधिकारी है, निष्कर्षतःयाची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याची की निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या–3, पुलिस अधीक्षक, बस्ती के पत्र दिनांकित 23 मार्च, 2024 के अनुपालन में रू0

5,82,117/– की वसूली याची से किये जाने से प्रतिपक्षीगण को रोका जाता है। याची के सेवानिवृत्ति की दिनाक 31.12.2023 के पश्चात दिनांक 15.03.2006 से पुनः उसका वेतन निर्धारण करते हुए याची की पेंशन संशोधित किये जाने सम्बन्धी पुलिस अधीक्षक, बस्ती के आदेश दिनांकित 04.01.2024 को निरस्त किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, बस्ती के वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को भेजे गये आदेश/वसूली पत्र दिनांकित 15.01.2024 भी निरस्त किया जाता है। यदि उक्त वसूली के सम्बन्ध में याची से कोई धनराशि वसूल कर ली गयी है तो विपक्षीगण उक्त धनराशि को याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्ति के 3 माह के अन्दर वापस किया जाना सुनिश्चित करें।

उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं सुनाया गया।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनॉक– 25 अप्रैल, 2025
एम0के0/–